चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः- सम्बद्धता/58

दिनांकः- 13.05.2003

सचिव,
दीवान इंस्टी0 ऑफ एजूकेशन,
इलक्ट्रा वर्ल्ड मेरठ बाई-पास रोड,
परतापुर,मेरठ।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 316/जी0एस0 दिनांक 31.03.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन दीवान इंस्टी0 ऑफ एजूकेशन, मेरठ को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2002-2003 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्ता को सुनिश्चित करेगी एंव परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा सुसंगत परिनियमों में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों तथा मनाको के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से संस्था का निरीक्षण अगले सत्र में कराया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा यह निरीक्षण आख्या प्रमाण पत्र सहित महामहिम कुलाधिपति के अवलोकनार्थ/निस्तारणार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित एंव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो तथा मनाको की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ,1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता को वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(4) एंव धारा 37(5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को आख्या प्रस्तुत की जायेगी।
5. .संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस,शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश: संख्या: 1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार बी0एड0 एक वर्षीय पाठयक्रम में 100 सीटों की क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2002-2003 से उपरोक्त शर्तो के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगें , जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेपित।

कुलसचिव

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 3438
दिनांक : ~~दिसम्बर, 2008~~ 3/2/09

सचिव,
दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज,
परतापुर, मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–3496 / सत्तर–2–2008–2 (460) / 2008, दिनांक 07.10.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, परतापुर, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की पूर्व स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, परतापुर, मेरठ** को **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **100 अतिरिक्त सीटों** की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,
2/2/09

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. डा0 आई0आर0एस0 सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

C:\PUNIT\AFFIL. 2 (253)